

डोक्टर लोक अदालत केम्प बरडोद
पर उपस्थित होकर शजीचामा पुत्र
पेश किया गया जिसमें ग्राम बरडोद
के आराजी नम्बर २५॥ रकबा १७ बिसवा
में वादीपाना २३ हिस्सा व प्रतिवादी सं.
१ का ५३ हिस्सा राजरवें रेकार्ड में अंकन
कर दिया जावे तांकाइ आपत्त नहीं है।

आदेश।

वादीपाना व प्रतिवादी सं. १ का
इस प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत शजीचामा
श्रीवांगार किया जाकर सह सील दावे
आदेश दिया जाता है कि ग्राम बरडोद
के आराजी नम्बर २५॥ रकबा १७ बिसवा
एक हिस्से व वाद जैके अनुसार वादीपाना
का २३ व प्रतिवादी सं. १ का ५३ हिस्से
अनुसार राजरवें रेकार्ड में अलग अलग
नाम अंकित करें। दिव्यो जारी है।

आज दिनांक २२.५.२०१८ को लिखी
केम्प बरडोद पर सर आम सुनाप
गया।

पूनावाला पंशाल सुमार डोक्टर
नम्बर से कम है।

२२/५/१८
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ़
पीठासीन अधिकारी: ~~विजयी गोपाल~~ आई०ए०एस० रामावतार मीजा & A.S
केम्प कोट बरडोद

उनवान

श्रीमती उदी देवी पत्नी अमरबंद गाडरी नि. बरडोद
वनाम वादीया

1. श्रीमती शमीम बानू पत्नी श्री रामजुदेन नीलगर
(मुसलमान) नि. बरडोद
2. लहरीलदार हमीरगढ़

प्रतिवादीया

दावा बाबत..... 53707.81.....

मुकदमा नम्बर :- 24/17

निर्णय दिनांक :- 22.5.18

वादी की ओर से वादीया की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.5.18 को रामावतार मीजा (नाम पीठासीन अधिकारी) विजयी गोपाल, आई०ए०एस० के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

लहरीलदार हमीरगढ़ के आदेश दिया जाता है कि, ग्राम बरडोद के आराजी नम्बर 24/17 शंका 17 बिरवा हवा, हिस्से व बरजे के अनुसार वादीया का 2/3 व प्रतिवादी शंका का 1/3 हिस्सा शजर-व शेवार्ड में अलग-अलग नाम अंकित करें।

